

2024 9 SCR 64 : 2024 INSC 664

सोमप्रभा राणा व अन्य

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य व अन्य

(क्रिमिनल अपील क्र ३८२१ / २०२३)

०६ सितंबर २०२४

अभय एस ओक एवं आगस्टीन जॉर्ज मसीह जे जे

विचारणीय प्रश्न

उच्च न्यायालय, यदि, आदेश पारित करने के समय, एक वर्ष और पांच महीने की आयु वाली बच्ची की अभिरक्षा में व्यवधान डालने में, उच्च न्यायालय, आदेश पारित करने के समय, एक वर्ष और पाँच महीने की आयु वाली बच्ची की अभिरक्षा में व्यवधान डालने में, यदि न्यायोचित है, तो बच्ची की अभिरक्षा उसके मातृ पक्ष के रिश्तेदारों से लेकर उसके पिता और पैतृक पक्ष के रिश्तेदारों को सौंप दी जानी चाहिए।

हेड नोट

भारतीय संविधान - अनुच्छेद २२६ - नाबालिग की अभिरक्षा की मांग के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका - 11 महीने की नाबालिग बच्ची, अपनी मां की अप्राकृतिक मृत्यु के बाद मातृ पक्ष के रिश्तेदारों की अभिरक्षा में - मां की मौत के सिलसिले में पिता की गिरफ्तारी, हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया - बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, जिसमें उच्च न्यायालय ने मातृ रिश्तेदारों को बच्चे की अभिरक्षा पिता और उसके परिवार को सौंपने का निर्देश दिया- शुद्धता:

निर्णय : जब न्यायालय, नाबालिग के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण के मुद्दे पर विचार करता है, तब न्यायालय बच्चे को चल संपत्ति नहीं मान सकता और अभिरक्षा में गड़बड़ी के, बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव पर, विचार किए बिना अभिरक्षा हस्तांतरित नहीं कर सकता - ऐसे मुद्दों को यंत्रवत् तय नहीं किया

जा सकता - न्यायालय को मानवीय विचारों के आधार पर कार्य करना होता है - न्यायालय पैरेन्स पैट्रिया के सिद्धांत की अनदेखी नहीं कर सकता - तथ्यों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने बच्चे के कल्याण के मुद्दे पर विचार नहीं किया - उच्च न्यायालय ने केवल प्राकृतिक अभिभावक के रूप में पिता के अधिकार के आधार पर बच्चे की अभिरक्षा में गड़बड़ी की - बच्चा अपनी माँ की मृत्यु के बाद 11 महीने की कोमल उम्र से अपीलकर्ता-मातृ पक्ष के रिश्तेदारों की अभिरक्षा में डेढ़ साल से अधिक समय तक रहा था। इस प्रकार, यह ऐसा मामला नहीं है जहां अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में बच्चे की अभिरक्षा में गड़बड़ी की जा सके - इस नाजुक उम्र में, अगर बच्चे की कस्टडी तुरंत पिता और दादा-दादी को सौंप दी जाती है, तो बच्ची दुखी हो जाएगी क्योंकि वह काफी लंबे समय से उनसे नहीं मिली है - इसके अलावा, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलकर्ताओं द्वारा बच्चे की उचित देखभाल नहीं की जा रही है - यह मानते हुए भी कि पिता अभिरक्षा का हकदार नहीं है, इस स्तर पर, वह बच्चे से मिलने के लिए पहुंच का हकदार है, बच्चे के सर्वोत्तम हित में यह है कि वह अपने पिता और दादा-दादी को जानती है और शुरू में कुछ समय के लिए उनके साथ रहती है - पिता ने अभिरक्षा के लिए आवेदन करने में अनिच्छा दिखाई है, अभिरक्षा के संबंध में न्यायालय के आदेश अंतिम नहीं हैं - इस प्रकार, अपीलकर्ताओं या उनमें से किसी को भी संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत नियमित न्यायालय में अभिरक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है - विवादित निर्णय और आदेश को अपास्त किया गया - रिट याचिका, योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर खारिज कर दी गई कि अनुच्छेद 226 के तहत, इस स्तर पर अभिरक्षा में खलल डालने हेतु विवेक का प्रयोग नहीं किया जा सकता था - अपीलकर्ताओं को बच्चे के पिता और दादा-दादी को हर पखवाड़े में एक बार बच्चे से मिलने की अनुमति देना - निर्धारित अवधि तक पहुंच जारी रखने का आदेश, उसके बाद, ट्रायल कोर्ट द्वारा संशोधित किया जा सकता है - संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 । [पैरा 8-14]

रिट - बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट - प्रकृति - नाबालिग की अभिरक्षा :

निर्णय : बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट एक विशेषाधिकार रिट है - यह एक असाधारण और विवेकाधीन उपाय है - उच्च न्यायालय के पास हमेशा व्यक्तिगत मामलों के तथ्यों के आधार पर रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग न करने का विवेकाधिकार होता है - भले ही उच्च न्यायालय, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका में पाता है कि प्रतिवादियों द्वारा बच्चे की अभिरक्षा अवैध थी, किसी दिए गए मामले में, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है, यदि उच्च न्यायालय का यह विचार है कि जिस स्तर पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग की गई थी, उस समय नाबालिग की अभिरक्षा में खलल डालना उसके कल्याण और हित में नहीं होगा - जहां तक नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा का सवाल है, एकमात्र सर्वोपरि विचार नाबालिग का कल्याण है - पक्षों के अधिकारों को बच्चे के कल्याण पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। [पैरा 6]

अभिरक्षा के मामले - नाबालिग की अभिरक्षा - नियमित सिविल / पारिवारिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही :

निर्णय : केवल संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत मूल कार्यवाही में ही उपयुक्त न्यायालय बच्चे की अभिरक्षा और संरक्षकता के मुद्दे पर निर्णय ले सकता है - बाल अभिरक्षा के मामलों से निपटने वाला नियमित सिविल / पारिवारिक न्यायालय लाभप्रद स्थिति में होता है - न्यायालय अक्सर बच्चे के साथ बातचीत कर सकता है - व्यावहारिक रूप से, सभी पारिवारिक न्यायालयों में एक बाल केंद्र / खेल क्षेत्र होता है - बच्चे को खेल केंद्र में लाया जा सकता है, जहां न्यायिक अधिकारी बच्चे के साथ बातचीत कर सकता है - पक्षों को एक ही स्थान पर बच्चे से मिलने की अनुमति दी जा सकती है - इसके अलावा, अभिरक्षा के मामलों से निपटने वाला न्यायालय साक्ष्य भी रिकॉर्ड कर सकता है - न्यायालय बच्चे का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकता है - यदि किसी पक्ष को बच्चे से मिलने की अनुमति देना आवश्यक है, तो सिविल न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय इसकी निगरानी करने की बेहतर स्थिति में है। [पैरा 10]

उद्धृत वाद

तेजस्विनी गौड़ एवं अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य [2019] 7 एससीआर 335; (2019) 7 एससीसी 45; स्वामीनाथन कुंचू आचार्य बनाम गुजरात राज्य [2022] 6 एससीआर 727; (2022) 8 एससीसी 804; गौतम कुमार दास बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य [2024] 8 एससीआर 451; (2024) आईएनएससी 610; निर्मला बनाम कुलवंत सिंह और अन्य (2024) एससीसी ऑनलाइन एससी 758 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारतीय संविधान; दंड संहिता, 1860; दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961; संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890।

कीवर्ड की सूची

अभिरक्षा ; नाबालिग की अभिरक्षा ; अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट; बंदी प्रत्यक्षीकरण; मानवीय विचार; बच्चे का कल्याण; बच्चे की अभिरक्षा और संरक्षकता; बच्चे तक पहुंच का आदेश; बच्चे का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन; विशेषाधिकार रिट; असाधारण और विवेकाधीन उपाय; परेन्स पैट्रिया डॉक्टरिन.

वादोत्पत्ति

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 3821/2023
मप्र उच्च न्यायालय इंदौर के WP क्रमांक 11004/2023 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.06.2023 से

पक्षकारों हेतु उपस्थिति

गगन गुप्ता वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल जैन सौरभ सिंह दिव्यांश सिंह अधि. वादी हेतु ।

गगन गुप्ता,

वादीयों के लिए गगन गुप्ता, वरिष्ठ अधि., निखिल जैन, सौरभ सिंह, दिव्या-
न्श सिंह,

उत्तरदाताओं के लिए पी.एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, पशुपति नाथ राज-
दान, अजय शर्मा, मिर्जा कायेश बेग, सुश्री मैत्रेयी जगत जोशी, आस्तिक गुप्ता,
सुश्री आकांक्षा तोमर, अर्घा रॉय, सुश्री ओजस्विनी गुप्ता, सुश्री रूबी, जरताब
अनवर, संतोष कुमार, ऋषिराज त्रिवेदी, मधुरेन्द्र शर्मा, राजीव आर. मिश्रा, सुश्री
सुरुचि यादव, अदिति शिवधात्री, यादव नरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

निर्णय

अभय एस. ओका, जे.

तथ्यात्मक पहलू

1. यह अपील एक बालिका (संक्षेप में 'बच्चा'), जिसकी वर्तमान आयु दो वर्ष और सात महीने है, की अभिरक्षा के बारे में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विवाद से उत्पन्न हुई है। बच्चे की मां की दुर्भाग्यवश 27 दिसंबर 2022 को अस्वाभाविक मृत्यु हो गई। आरोप है कि मां की मौत फांसी लगाने से हुई। चौथा प्रतिवादी बच्चे का पिता है। दूसरे और तीसरे प्रतिवादी बच्चे के दादा-दादी हैं। पांचवां प्रतिवादी चौथे प्रतिवादी (उसके भाई की पत्नी) की भाभी है। पहले से तीसरे अपीलकर्ता मृतक मां की सगी बहन हैं। चौथा और पांचवां अपीलकर्ता बच्चे के नाना-नानी हैं, जो उच्च न्यायालय के समक्ष पक्ष नहीं थे। पांचवां प्रतिवादी बच्चे की मां की सगी बहन भी है। पांचवां प्रतिवादी चौथे प्रतिवादी के भाई की पत्नी है।

2. दूसरे से चौथे प्रतिवादियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग करते हुए याचिका दायर करके मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया। याचिका में यह मामला बनाया गया कि चौथा प्रतिवादी और बच्चे की मां इंदौर में रहते थे, जहां मां की अप्राकृतिक मौत हुई। भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी और 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दूसरे और चौथे प्रतिवादी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दूसरे से पांचवें प्रतिवादी के मामले के अनुसार, दूसरे और तीसरे अपीलकर्ता 28 दिसंबर 2022 को इंदौर आए। जब चौथा प्रतिवादी पोस्टमार्टम की औपचारिकताएं पूरी करने में व्यस्त था, तो चौथे प्रतिवादी की सहमति के बिना, दूसरे और तीसरे अपीलकर्ता नाबालिग बच्चे को ले गए। चौथे प्रतिवादी - पिता को 19 फरवरी 2023 को अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और 19 अप्रैल 2023 को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद उसे जमानत दे दी गई थी। दूसरे से पांचवें प्रतिवादी द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका इस आरोप पर आगे बढ़ी कि दूसरे और तीसरे अपीलकर्ताओं ने अवैध रूप से बच्चे की कस्टडी अपने हाथ में ले ली। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि माँ की मृत्यु की तिथि पर बच्चे की आयु 11 महीने थी।

3. 23 जून 2023 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने रिट याचिका को अनुमति दी। इसने अपीलकर्ताओं को निर्देश देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की कि वे बच्चे की कस्टडी दूसरे से पांचवें प्रतिवादी को सौंप दें। 7 जुलाई 2023 को, इस न्यायालय ने नोटिस जारी किया और विवादित निर्णय के संचालन पर रोक लगा दी। 5 दिसंबर 2023 को, इस न्यायालय ने अनुमति दी और स्थगन जारी रखा। हालांकि, इस न्यायालय ने पाया कि पति के लिए उचित न्यायालय के समक्ष अभिरक्षा के लिए आवेदन करना खुला होगा। इस तिथि तक, पति ने संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 (संक्षेप में, "जीडब्ल्यू अधिनियम") के तहत कार्यवाही दायर करके अभिरक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है। अपीलकर्ताओं ने

जीडब्ल्यू अधिनियम के तहत ऐसा आवेदन किया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। यह अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दिया गया कथन है। अब, प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा उस बच्चे की अभिरक्षा में व्यवधान डालना न्यायोचित था, जिसकी आयु उक्त निर्णय पारित करने के समय एक वर्ष और पांच माह थी।

प्रविष्टियां

4. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय के द्वारा, बिना कोई जांच किए ही, बच्चे के पिता और दादा-दादी के कानूनी अधिकारों के आधार पर ही बच्चे की अभिरक्षा को बाधित करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए, उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर याचिका पर विचार किया जाना भी था, तो यह न्यायालय का कर्तव्य था कि वह देखे कि नाबालिग के सर्वोत्तम हित क्या हैं और नाबालिग बच्चे के कल्याण के सवाल पर विचार किए बिना इतनी कम उम्र में अभिरक्षा को बाधित नहीं किया जा सकता था।

5. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तेजस्विनी गौड़ एवं अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी एवं अन्य ¹, स्वामीनाथन कुंचू आचार्य बनाम गुजरात राज्य ² और गौतम कुमार दास बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली एवं अन्य ³ के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर व्यापक रूप से भरोसा किया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आग्रह किया कि गौतम कुमार दास का मामला तथ्यों के मामले में समान है, जहां उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह विचार व्यक्त करते हुए विचार करने से इनकार कर दिया था कि अभिरक्षा लिए वैधानिक उपाय अपनाया जाना चाहिए। हालांकि, इस न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पिता को नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा दे दी। उन्होंने कहा कि पिता और उसके माता-पिता एक साथ रहते हैं और इसलिए, वे बच्चे की सर्वोत्तम संभव देखभाल करने की

स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ताओं ने पिता को बच्चे का चेहरा भी देखने नहीं दिया है। अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने निर्मला बनाम कुलवंत सिंह और अन्य के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया।

प्रस्तुतियों पर विचार

6. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का अध्ययन करने के बाद, इस मुद्दे पर स्थापित कानून के व्यापक प्रस्तावों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

क. बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट एक विशेषाधिकार रिट है। यह एक असाधारण उपाय है। यह एक विवेकाधीन उपाय है;

ख. उच्च न्यायालय के पास हमेशा मामले के तथ्यों के आधार पर रिट अधिकारिता का प्रयोग न करने का विवेकाधिकार होता है। यह सब पृथक मामलों के तथ्यों पर निर्भर करता है;

ग. यदि उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पाता है कि प्रतिवादियों द्वारा बच्चे की अभिरक्षा अवैध थी, तो इस मामले में उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने से इंकार कर सकता है, यदि उच्च न्यायालय का यह विचार है कि जिस स्तर पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग की गई थी, उस स्तर पर उसकी अभिरक्षा में व्यवधान डालना नाबालिग के कल्याण और हित में नहीं होगा; तथा

घ. जहाँ तक नाबालिग बच्चों की कस्टडी के बारे में निर्णय का सवाल है, एकमात्र सर्वोपरि विचार नाबालिग का कल्याण है। पक्षों के अधिकारों को बच्चे के कल्याण पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सिद्धांत नाबालिग के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग करने वाली याचिका पर भी लागू होता है।

7. अब हम विवादित फैसले पर आते हैं। खंडपीठ द्वारा दिए गए कारण केवल दो पैराग्राफों में पाए जाते हैं, अर्थात् पैराग्राफ संख्या 10 और 11, जो इस प्रकार हैं:

"10. तेजस्विनी गौड़ एवं अन्य (सुप्रा) के अवलोकन से, बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही का उद्देश्य अभिरक्षा की वैधता न्यायोचित ठहराना या उसकी जांच करना नहीं है। वर्तमान मामले में, केवल एक ही बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या माता-पिता या अन्य लोगों द्वारा नाबालिग बच्चे को अभिरक्षा में रखना अवैध था और कानून के किसी अधिकार के बिना था। यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तभी स्वीकार्य है जब व्यक्ति यह साबित करने में सक्षम हो कि बंदी अवैध अभिरक्षा में है या उसे अवैध कारावास में रखा गया है। वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 3 और 4 पर वरीयता प्राप्त होगी जो मातृ पक्ष के रिश्तेदार हैं जबकि याचिकाकर्ता संख्या 3 बंदी का जैविक पिता है, इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार्य है और साथ ही याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के रूप में नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के लिए वरीयता प्राप्त होगी।

11. नाबालिग बच्चे की कस्टडी लेने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तभी मान्य है जब कॉर्पस अवैध अभिरक्षा में हो। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 3 और 4, जो कॉर्पस के प्राकृतिक अभिभावक नहीं हैं, के द्वारा नाबालिग बच्चे की कस्टडी / नजरबंदी, कानूनी अभिरक्षा के हकदार नहीं हैं। तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर नाबालिग बच्चे अर्थात् XXXX की कस्टडी याचिकाकर्ताओं को सौंपने का निर्देश दिया जाता है।" (महत्व दिया गया)

8. यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने बच्चे के कल्याण के मुद्दे पर विचार नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने केवल प्राकृतिक अभिभावक के रूप में पिता के अधिकार के आधार पर बच्चे की अभिरक्षा में खलल डाला है।

9. उच्च न्यायालय उस बच्चे की अभिरक्षा से निपट रहा था, जिसकी उम्र उस समय एक वर्ष और पांच महीने थी। बच्चा अपनी मां की मृत्यु के बाद 11 महीने की कोमल उम्र से ही अपीलकर्ताओं की अभिरक्षा में था। वर्तमान में बच्चा डेढ़ साल से अधिक समय से अपीलकर्ताओं की अभिरक्षा में है। जब न्यायालय नाबालिग के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण के मुद्दे पर विचार करता है, तो न्यायालय बच्चे को चल संपत्ति के रूप में नहीं मान सकता है और अभिरक्षा में व्यवधान के बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किए बिना अभिरक्षा हस्तांतरित नहीं कर सकता है। ऐसे मुद्दों पर यंत्रवत् निर्णय नहीं लिया जा सकता। न्यायालय को मानवीय विचारों के आधार पर कार्य करना होता है। आखिरकार, न्यायालय द्वारा पैरेंस पैट्रिया के सिद्धांत की अनदेखी नहीं की जा सकती। दूसरे से पांचवें प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि अगर अदालत का मानना है कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित विचार नहीं किया गया है, तो रिमांड का आदेश उच्च न्यायालय को दिया जा सकता है।

10. हमारा मानना है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और बच्चे की कम उम्र को देखते हुए, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में बच्चे की अभिरक्षा को बाधित किया जा सकता है। केवल जीडब्ल्यू अधिनियम के तहत मूल कार्यवाही में ही उचित न्यायालय बच्चे की अभिरक्षा और संरक्षकता के मुद्दे पर फैसला कर सकता है। बाल अभिरक्षा के मामलों से निपटने वाले नियमित सिविल/पारिवारिक न्यायालय लाभप्रद स्थिति में हैं। न्यायालय अक्सर बच्चे के साथ बातचीत कर सकता है। व्यावहारिक रूप से, सभी पारिवारिक न्यायालयों में एक बाल केंद्र/खेल क्षेत्र होता है। बच्चे को खेल केंद्र में लाया जा सकता है, जहाँ न्यायिक अधिकारी बच्चे के साथ बातचीत कर सकता है। एक ही स्थान पर

बच्चे से मिलने के लिए पक्षों को पहुँच दी जा सकती है। इसके अलावा, अभिरक्षा के मामलों से निपटने वाला न्यायालय साक्ष्य दर्ज कर सकता है। न्यायालय बच्चे का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है। यदि बच्चे से मिलने के लिए पक्षों में से किसी एक को पहुँच देने की आवश्यकता है, तो सिविल न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय इसकी निगरानी करने की बेहतर स्थिति में है।

11. मामले के तथ्यों पर आते हुए, इस स्तर पर, यह तय करना बहुत मुश्किल होगा कि क्या नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए उसकी मौसी की कस्टडी में खलल डालना ज़रूरी है या नहीं। बच्चे ने एक साल से ज़्यादा समय से अपने पिता और दादा-दादी को नहीं देखा है। दो साल और सात महीने की छोटी सी उम्र में, अगर बच्चे की कस्टडी तुरंत पिता और दादा-दादी को दे दी जाती है, तो बच्चा दुखी हो जाएगा क्योंकि बच्चा काफी लंबे समय से उनसे नहीं मिला है। इसके अलावा, यहां तक कि वादिया प्रतिवादियों ने भी यह आरोप नहीं लगाया है कि अपीलकर्ताओं द्वारा बच्चे की उचित देखभाल नहीं की जा रही है। पिता को कस्टडी का हक है या नहीं, यह एक सक्षम अदालत द्वारा तय किया जाने वाला मामला है, लेकिन निश्चित रूप से, यह मानते हुए भी कि पिता को कस्टडी का हक नहीं है, इस स्तर पर, उसे बच्चे से मिलने का हक है। यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में है कि वह अपने पिता और दादा-दादी को जाने और कुछ समय के लिए उनके साथ रहे।

12. हमने पति का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील से बार-बार पूछा कि क्या पति अभिरक्षा के लिए आवेदन करने को तैयार है। हालाँकि, उसने अभिरक्षा के लिए आवेदन करने में अनिच्छा दिखाई है। पति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर बेंच में प्रैक्टिस करने वाले बार का सदस्य है। यहां तक कि वे सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। हालांकि, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि अपीलकर्ता या उनमें से कोई भी अभिभावक के रूप में घोषणा का दावा करने और अभिरक्षा को बनाए रखने के लिए आवेदन करेगा। अपीलकर्ताओं द्वा-

रा दायर पहले के आवेदन को वापस ले लिया गया है। हालांकि, अभिरक्षा के संबंध में न्यायालय के आदेश कभी भी अंतिम नहीं होते हैं। इसलिए, हम अपीलकर्ताओं या उनमें से किसी को जीडब्ल्यू अधिनियम के तहत नियमित न्यायालय में अभिरक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करते हैं। अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में भी, सक्षम न्यायालय पिता को अभिरक्षा लेने की अनुमति दे सकता है यदि वह संतुष्ट है कि नाबालिग के कल्याण के लिए पिता को अभिरक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

13. हम अपीलकर्ताओं को निर्देश देने का प्रस्ताव करते हैं कि वे बच्चे के पिता और दादा-दादी को हर पखवाड़े में एक बार बच्चे से मिलने की अनुमति दें। शुरुआत में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के कार्यालय में पहुंच प्रदान की जा सकती है ताकि सचिव पहुंच की निगरानी कर सकें। हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश देने का प्रस्ताव करते हैं कि वे स्थानीय सार्वजनिक अस्पताल से जुड़े बाल मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक (अधिमानतः महिला) से सहायता लें। यदि स्थानीय सार्वजनिक अस्पताल में ऐसा कोई विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है, तो अपीलकर्ताओं के खर्च पर ऐसे विशेषज्ञ की नियुक्ति की जा सकती है। विशेषज्ञ यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चा पिता और दादा-दादी के प्रति प्रतिक्रिया करे और उनसे बातचीत करे। पहुंच का क्रम चार महीने तक जारी रहेगा। उसके बाद संबंधित विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह सभी मामलों में पहुंच के इस आदेश को संशोधित कर सके। जब बच्चा अपने पिता और दादा-दादी के साथ सहज हो जाता है, तो कोर्ट पिता और दादा-दादी को रात भर की पहुंच देने पर भी विचार कर सकता है।

14. इसलिए, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं :

क. 23 जून, 2023 के विवादित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है, और रिट याचिका संख्या 11004/2023 को खारिज किया जाता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि रिट याचिका को गुण-दोष के आधार पर नहीं बल्कि इस आधार पर खारिज किया जाता है कि तथ्यों

के आधार पर, इस स्तर पर अपीलकर्ताओं की अभिरक्षा को बाधित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेक का प्रयोग नहीं किया जा सकता था;

ख. 21 सितम्बर 2024 से प्रत्येक प्रथम, तृतीय एवं पंचम शनिवार को अपीलकर्ता बच्चे को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के कार्यालय में, दोपहर 3 बजे मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में ले जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की देखरेख में, बच्चे के पिता और दादा-दादी को शाम 5 बजे तक बच्चे से मिलने की अनुमति होगी;

सी. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव किसी स्थानीय सार्वजनिक अस्पताल में कार्यरत बाल मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक (अधिमानतः महिला) की सहायता लेंगे। यदि ऐसे विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं, तो सचिव अपीलकर्ताओं की लागत पर निजी तौर पर ऐसे किसी विशेषज्ञ को नियुक्त करेंगे। सचिव द्वारा मांगे जाने पर अपीलकर्ता आवश्यक शुल्क का भुगतान करेंगे। भुगतान अभिरक्षा प्रदान करने की कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा;

घ. इस प्रकार नियुक्त विशेषज्ञ पहुंच के समय मौजूद रहेगा। विशेषज्ञ का कर्तव्य बच्चे को उसके पिता और दादा-दादी से बातचीत करने के लिए राजी करना होगा। पिता और दादा-दादी को बच्चे से मिलने की अनुमति देने के तरीके और तरीके के संबंध में, पक्ष और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशेषज्ञ की राय से निर्देशित होंगे;

ड. जैसा कि न्यायालय को आश्वासन दिया गया है, अपीलकर्ता या उनमें से कुछ आज से अधिकतम दो महीने की अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष जीडब्ल्यू अधिनियम के प्रावधानों के

तहत बच्चे की संरक्षकता और स्थायी अभिरक्षा की घोषणा की मांग करते हुए याचिका दायर करेंगे;

च संबंधित न्यायालय जिसमें आवेदन दायर किया जाएगा, वह पति और दादा-दादी को पहुंच और/या रात भर अभिरक्षा प्रदान करने के संबंध में आगे के आदेश पारित करेगा। पहुंच, रात भर पहुंच आदि के संबंध में आगे के अंतरिम निर्देश सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किए जाएंगे जिसमें अपीलकर्ता अभिरक्षा के लिए आवेदन करते हैं। उक्त न्यायालय को उचित अंतरिम आदेश पारित करने में सक्षम बनाने के लिए, हम निर्देश देते हैं कि पिता और दादा-दादी को पहुंच प्रदान करने के लिए ऊपर दी गई अंतरिम व्यवस्था आज से चार महीने तक लागू रहेगी। इसके बाद, सक्षम न्यायालय अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना को उसके गुण-दोष के आधार पर निपटाएगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि पति और/या दादा-दादी अभिरक्षा के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके द्वारा दायर आवेदन और अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन पर एक साथ सुनवाई की जाएगी, और

छ- यदि दोनों पक्ष सक्षम न्यायालय में आवेदन करने में असफल रहते हैं, तो वे उचित निर्देशों के लिए इस न्यायालय में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

15. तदनुसार, अपील उपर्युक्त शर्तों पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

16. हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि वह इस निर्णय की एक प्रति तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को भेजे, जो जिला पन्ना, मध्य प्रदेश राज्य में है, जो इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा प्रदान की गई निर्णय

की प्रति पर कार्रवाई करेगा। यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को इस न्यायालय से किसी और निर्देश की आवश्यकता होती है, तो वह इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, जो इसे तुरंत इस पीठ और/या उपयुक्त पीठ के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

17. लागत के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं ।

मामले का परिणाम: अपील आंशिक रूप से स्वीकृत
†हेडनोट्स तैयार किए गए: निधि जैन द्वारा

अनुवाद द्वारा-
पी.के. शर्मा
कनिष्ठ न्यायिक अनुवादक
म.प्र. उच्च न्यायालय, इंदौर